संख्याः– 808 / 77–4–20–35एन / 19

प्रेषक,

आलोक कुमार,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

मुख्य कार्यपालक अधिकारी,
नोएडा / ग्रेटर नोएडा / यीडा / गीडा / सीडा / लीडा
यूपीसीडा / यूपीडा।

औद्योगिक विकास अनुभाग–4 लखनऊ : दिनांक 25 फरवरी, 2020

विषयः– अनुमति / अनापत्ति के सम्बन्ध में अधिकारों का प्रतिनिधायन।

महोदय,

उपर्युक्त के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास प्राधिकरण केन्द्रीयित सेवा नियमावली, 2018 के नियम–37 में यह प्राविधान किया गया है कि:–

"सरकार इस नियमावली के अधीन अपनी किन्हीं शक्तियों और कृत्यों को प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालक अधिकारी या ऐसे किसी अन्य व्यक्ति को जिसे वह उचित समझे, प्रत्यायोजित कर सकती है।"

2. उक्त नियम 37 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधिकारों के प्रतिनिधायन के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेश संख्या–474 / 77–4–19–474, दिनांक 08.03.2019 को अवक्रमित करते हुए प्राधिकरण में कार्यरत कार्मिकों के अनुमति / अनापत्ति के सम्बन्ध में श्री राज्यपाल सहर्ष निम्नवत् स्वीकृति प्रदान करते हैः–

विदेश यात्रा की अनुमति

क0	कार्मिक	सक्षम स्तर
1	ग्रेड पे रू0 5400 / – तक के कार्मिक	मुख्य कार्यपालक अधिकारी
2	ग्रेड पे रू0 5400 / – के ऊपर तक के कार्मिक	शासन।

प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल होने हेतु अनापत्ति

समस्त श्रेणी के पदधारकों को प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल होने हेतु अनापत्ति मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा दी जायेगी।

अन्य विभागों में प्रतिनियुक्ति पर जाने हेतु अनापत्ति

समस्त श्रेणी के पदधारकों को अन्य विभागों में प्रतिनियुक्ति पर जाने हेतु अनापत्ति शासन द्वारा गुण–दोष के आधार पर दी जायेगी।

3. उक्त प्रतिनिधायन के अनुसार राज्य सरकार की शक्तियों का विधि सम्मत क्रियान्वयन सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(आलोक कुमार)
प्रमुख सचिव।